

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

पंचायती राज, अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक- 16 अक्टूबर, 2023

विषय:- पंचायत सहायकों के माध्यम से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत करने सम्बन्धी कार्य लिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसूचना संख्या-1925/पॉच-7-2016-रिट-201/2010 दिनांक 30 जनवरी 2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल/प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक को जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया है। इस प्रकार से ग्राम पंचायत में होने वाली जन्म एवं मृत्यु को सी०आर०एस० पोर्टल पर अंकित किये जाने की कार्यवाही की जाती है एवं तदनुसार ही परिवार रजिस्टर को अद्यतन किया जाता है।

2- उक्त के सम्बन्ध में उच्च स्तर पर जन्म-मृत्यु के पंजीकरण की समीक्षा में यह संज्ञान में आया है कि उक्त पंजीकरण ग्राम स्तर पर हुए जन्म-मृत्यु के सापेक्ष शत-प्रतिशत नहीं है क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी (सचिव, ग्राम पंचायत) वर्तमान में एक से अधिक पंचायतों के क्लस्टर में कार्यरत हैं जो प्रतिदिन ग्राम पंचायत में उपस्थित नहीं रह पाते हैं। ऐसी स्थिति में वर्तमान में प्रत्येक ग्राम पंचायत में पंचायत सचिवालय पर ग्राम पंचायत की संविदा पर कार्यरत पंचायत सहायक उक्त कार्य अधिक सुचारू रूप से कर सकता है क्योंकि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उनकी उपस्थिति है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पंचायत सहायक को ग्राम पंचायत स्तर पर सूचक (Informant) बनाने हेतु आवश्यक अधिसूचना अपने स्तर से निर्गत कराने का कष्ट करें। साथ ही यह भी सुनिश्चित कराने का कष्ट करें कि सी०आर०एस० पोर्टल पर सूचक द्वारा पंजीयन हेतु अग्रसारित आवेदन मॉनिटरिंग आई०डी० से अवलोकित किये जा सकें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय
Mansingh
(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।
16.10.23

संख्या व दिनांक- तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उ०प्र०।
- 2- निदेशक, जनगणना कार्य एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०।

आज्ञा से,
(अशोक कुमार राम)
अनु सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन,
चिकित्सा अनुभाग-7
संख्या-1925/पाँच-7-2016-रिट-201/2010
लखनऊ : दिनांक 30 जनवरी, 2017

अधिसूचना

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की धारा-7 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस विषय से सम्बन्धित विद्यमान अधिसूचना संख्या-1995(1)/5-7-2001-वी0एस0-6/2000, दिनांक 05.11.2001 तथा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप संख्या- 252/5-7-2008-वी0एस0-2/97 टी0सी0, दिनांक 12 फरवरी, 2008 का अधिकरण करते हुए राज्यपाल जन्म एवं मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये, नीचे अनुसूची के स्तम्भ 2 में उल्लिखित प्राधिकारियों को प्रत्येक के सामने स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्र के लिए जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्य करने के लिये रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं :-

क्र. सं.	प्राधिकारी	जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिये पदनाम	स्थानीय क्षेत्र
1	2	3	4
नगरीय क्षेत्र:			
1	नगर निगमों के उप नगर आयुक्त/जोनल अधिकारी	रजिस्ट्रार	सभी नगर निगमों स्थानीय क्षेत्र के भीतर उनके सम्बन्धित जोन के अधीन आने वाले क्षेत्र/वार्ड
2	सभी नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों के अधिशासी अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी	रजिस्ट्रार	उनकी नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों एवं छावनी बोर्डों के भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र
3	नोएडा/ग्रेटर नोएडा के प्रशासनिक अधिकारी	रजिस्ट्रार	नोएडा/ग्रेटर नोएडा के भीतर के उनके सभी सम्बन्धित क्षेत्र
4	सभी औद्योगिक नगरों (Industrial Township) के प्रभारी चिकित्साधिकारी	रजिस्ट्रार	उनके औद्योगिक नगरों (Industrial Township) भीतर के उनका सभी सम्बन्धित क्षेत्र/वार्ड
5	ग्राम विकास अधिकारी/ग्राम पंचायत अधिकारी/लेखपाल/प्राइमरी स्कूल के प्रधानाध्यापक अथवा प्रभारी (इंचार्ज) अध्यापक।	रजिस्ट्रार	प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये स्तम्भ 2 में वर्णित कोई एक पदाधिकारी (ग्राम पंचायत के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों के लिये)-जिलारजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/जिलाधिकारी द्वारा प्रत्येक रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जायेगी एवं रजिस्ट्रार के कार्यालय का स्थान (पंचायत भवन, सरकारी स्कूल, बहुउद्देशीय सरकारी भवन) भी चिन्हित किया जायेगा।
राजकीय चिकित्सा संस्थान			
6	राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान/राजकीय मेडिकल कालेज एवं उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय/राजकीय जिला चिकित्सालय/राजकीय महिला चिकित्सालय/राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा अधिकारी।	रजिस्ट्रार	उनके राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान एवं राजकीय मेडिकल कॉलेज तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालय/राजकीय जिला चिकित्सालय/राजकीय महिला चिकित्सालय/राजकीय संयुक्त जिला चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों आदि पर होने वाले सभी जन्म-मृत्यु।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य
पत्रांक 993
दिनांक 23.01.17

सु. वि. वि. वि.
(जन्म मृत्यु)
[Signature]

[Signature]
[Signature]

रजिस्टर
किसी अ
गत लोकसेवक
उक्त धारा
सम्बन्धित स

धारा 7 (2) से 7 (4) के अनुसार प्रत्येक रजिस्ट्रार -

1. धारा 8 या 9 के तहत बिना किसी फीस या पुरस्कार के ही रजिस्टर में सूचना का संधारण करना जो जन्म मृत्यु उसके क्षेत्राधिकार में हुई है उनका ध्यानपूर्वक पता करना और अपेक्षित विवरणों को रजिस्टर करना।
2. प्रत्येक रजिस्ट्रार का कार्यालय उस स्थानीय क्षेत्र में होगा जिसके लिये वह नियुक्त किया गया हो।
3. प्रत्येक रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजन के लिए अपने कार्यालय में ऐसे दिनों और समय पर जिनका मुख्य रजिस्ट्रार/जिला रजिस्ट्रार निर्देश दे, उपस्थित रहेंगे और रजिस्ट्रार के कार्यालय व बाहरी द्वार पर या उसके पास के ही किसी सहजदृश्य स्थान पर एक बोर्ड लगाना, जिस पर उनके नाम तथा जिस स्थानीय क्षेत्र के लिये वह नियुक्त हो उसका जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रार तथा उसकी हाजिरी के दिन और घंटे स्थानीय भाषा में लिखे होंगे (प्रारूप निम्नानुसार)।

जन्म - मृत्यु रजिस्ट्रीकरण कार्यालय

पंजीकरण यूनिट का नाम (ग्राम पंचायत का नाम, नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत आदि) एवं कोड
पंजीकरण यूनिट (ग्राम पंचायत/नगरीय)
के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों के नाम/कोड अथवा वार्ड का नाम/कोड
रजिस्ट्रार का नाम
रजिस्ट्रार का मोबाइल नम्बर कार्य
दिवस समय

बच्चे का जन्म पंजीकृत किया जाना, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है।

रजिस्ट्रार जन्म-मृत्यु

4. अधिनियम की धारा 7 (2) के अंतर्गत स्वंप्रेरणा (अपने आप से) रजिस्ट्रेशन इससे अभिप्राय रजिस्ट्रार द्वारा अपने अधिकारिता क्षेत्र में घटित जन्म और/अथवा मृत्यु की ऐसी किसी भी घटना को स्वयं रजिस्ट्रेशन करने से है, जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए नहीं आई है।
5. बच्चे के नाम का रजिस्ट्रेशन, यदि जन्म बिना नाम के रजिस्ट्रीकृत है (धारा 14)
6. जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि को सही या निरस्त करना (धारा 15)
7. रिकार्ड (जन्म, मृत जन्म, और मृत्यु रजिस्टर) का सुरक्षित संधारण और रिकार्ड की गई सूचना की शुद्धता व यथातथ्य को सुनिश्चित करना (धारा 16, 19)
8. जन्म और मृत्यु रजिस्टर में प्रविष्टि की खोज करना (धारा 17 (1) (अ) और 17 (1) (ब))
(क) जन्म और मृत्यु रजिस्टर से निर्धारित प्रविष्टियां का उद्धरण जारी करना
(ख) अनुपलब्धता प्रमाण पत्र जारी करना
9. निर्धारित अधिकारी को मासिक रिपोर्ट जमा करना [धारा 19 (1)] और
10. जहाँ एम सी सी डी योजना क्रियान्वित हो रही है वहाँ मृत्यु के कारण का प्रमाण पत्र प्राप्त करना।
11. जन्म या मृत्यु का रजिस्ट्रेशन जैसे ही पूरा हो रजिस्ट्रार फॉर्म संख्या 5 (जन्म के लिये) और फॉर्म संख्या 6 (मृत्यु के लिये) जन्म और मृत्यु रजिस्टर से निर्धारित उद्धरण रजिस्ट्रेशन के लिये सूचना देने वाले को मुफ्त में देना है (धारा 12)। इस फॉर्म में जो प्रविष्टि हैं वे जन्म और मृत्यु रजिस्टर में निर्धारित प्रविष्टियों का ही उद्धरण है। यह उद्धरण सामान्यतः जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। धारा 8 या 9 के तहत जिसने घटना की सूचना दी है उस व्यक्ति को उद्धरण की पहली कॉपी मुफ्त में देनी है। (धारा 12) चाहे रजिस्ट्रार उद्धरण/प्रमाण पत्र की कम्प्यूटराइज्ड कॉपी दें, तब भी इसके लिये कोई पैसा नहीं लेना है।

रजिस्ट्रार से रिपोर्टिंग से 30 दिन के अन्दर जन्म या मृत्यु का उद्धरण प्राप्त कर सकता है। [नियम 8 (2) से 8 (4), धारा 12]। इस नियम के तहत जन्म या मृत्यु उद्धरण प्राप्त नहीं किये हों ऐसी स्थिति में, रजिस्ट्रार या अधिकारी या सम्बन्धित संस्था के प्रमारी को उद्धरण सम्बन्धित परिवार को ऊपर बतायी गयी अवधि से 15 दिन के अन्दर डाक से भेज दें [नियम 8 (5), धारा 12]।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को सभी रजिस्ट्रारों को संलग्न प्रारूप पर नियुक्ति पत्र जारी करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है जो कि नियुक्ति पत्र जारी करने के उपरान्त अपने जिले के सभी रजिस्ट्रारों की रजिस्ट्रेशन इकाईवार पूर्ण विवरण की सूचना मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ उ०प्र० लखनऊ एवं सहायक महारजिस्ट्रार (सीआरएस) जनगणना कार्य निदेशालय उ०प्र० लखनऊ को भेजने हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं।

रजिस्ट्रार जब जन्म मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 अथवा उसके अर्न्तगत बनाए गए नियमों अथवा जारी
र किसी आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के
अर्न्तगत लोकसेवक समझा जाएगा (जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 26)
उक्त धारा की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल, पैरा-1 में निर्दिष्ट प्राधिकारियों को उनके
सम्बन्धित स्थानीय क्षेत्रों के सम्बन्ध में जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करते हैं।

आज्ञा से

अरुण कुमार सिन्हा,
अपर मुख्य सचिव।

संख्या -1925(1)/पांच-7-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
- 2- विधायिका विभाग (वेटिंग अनुभाग) सचिवालय, उत्तर प्रदेश।
- 3- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 5- सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 6- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 7- मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु)/महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
- 8- महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना की प्रतियां अपने
अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को वितरित कराने का कष्ट करें।
- 9- निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
- 10- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 11- अपर निदेशक (राष्ट्रीय कार्यक्रम), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
- 12- समस्त मण्डलीय उप निदेशक, पंचायती राज, उत्तर प्रदेश।
- 13- समस्त अपर निदेशक (मण्डल), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 14- सहायक निदेशक/संख्या अधिकारी (जन्म-मृत्यु आंकड़ा), चिकित्सा तथा स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश।
- 15- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 16- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 17- समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधिसूचना की प्रतियां अपने
अधीनस्थ समस्त रजिस्ट्रारों को वितरित कराने का कष्ट करें।
- 18- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 19- भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त, 2/ए, मानसिंह रोड, नई दिल्ली।
- 20- निदेशक, जनगणना कार्य एवं संयुक्त महारजिस्ट्रार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 21- निदेशक, मुद्रण कार्यालय, इलाहाबाद को उक्त अधिसूचना को गजट में प्रकाशित कराने हेतु।
- 22- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(शिव गोपाल सिंह)
अनु सचिव।

11

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रारों को जारी किया जाने वाला
नियुक्ति पत्र का प्रारूप

(नियुक्ति पत्र की एक अतिरिक्त प्रति मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु), उत्तर प्रदेश को एवं एक अतिरिक्त प्रति सहायक महारजिस्ट्रार उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की जानी है)

जिला का नाम:-..... जिला का कोड:-.....

सेवा में,

श्री/श्रीमती/सुश्री (नाम).....

गोबाइल नम्बर.....

पदनाम.....

कार्यालय का पता.....

विषय:-जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की प्रदत्त धाराओं के अन्तर्गत रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में।

जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 की प्रदत्त धाराओं के अन्तर्गत एवं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या दिनांक (फोटोप्रति संलग्न) के द्वारा मुझे प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं आपको ग्राम पंचायत.....

के अधीन आने वाले समस्त राजस्व ग्रामों यथा:-

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....

के लिए रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) नियुक्त करता हूँ।

रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 अथवा उसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों अथवा जारी किए गए किसी आदेश के अनुसरण में कार्य कर रहे हों तो वह भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अन्तर्गत लोकसेवक समझा जाएगा। (जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 26)। जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्य के लिए आपके कार्यालय का पता निम्नानुसार होगा:-

जन्म-मृत्यु पंजीकरण कार्यालय का पूरा पता:-

.....
.....
.....

स्थान:.....

हस्ताक्षर:.....

जिला रजिस्ट्रार(जन्म-मृत्यु)/ जिलाधिकारी

दिनांक:.....

मुहर:.....

The Uttar Pradesh, Government,
Medical Section-7
No- 1925 /5-7-2016 -Writ -201/2010
Lucknow Dated- 30 January, 2017

In pursuance of the provisions of section 7(1) of the RBD act 1969 and in supersession of already existing notification no.1995(1)/5-7-2001-v.s-6/2000 dated 05.11.2001 and office memorandum of Uttar Pradesh Government no.252/5-7-2008-v.s-2/97 7c dated 12-02-2008. The governor exercises his power to notify to appoint a Registrar for each local area within the jurisdiction of a municipality, panchayat or of the local authority as depicted in column no 2 below for the areas mentioned in column no 4:-

S.L No	Officer/Employee	Designation for birth and death registration	Local area
1	2	3	4
Urban area			
1	Deputy municipal commissioner/zonal officer of nagarnigam	Registrar	For local areas/zones of nagarnigam
2	Executive officer/chief Executive officer of nagarpalikaparishad/ Nagar panchayat/Cantt Board	Registrar	For local areas of nagarpalikaparishad/ Nagar panchayat/Cantt Board
3	Administrative officer of Noida/Greater Noida	Registrar	For local areas
4	M.O incharge of industrial township	Registrar	For local areas
Rural area			
5	Gram vikasadhikari/gram panchayat adhikari /Lekhpal/ Head master/incharge of primary schools	Registrar	For all the revenue villages falling under any Gram panchayat Any one amongst the officers/ employee mentioned in column 2 will be appointed Registrar by the District Magistrate/District Registrar (birth and death) of the district. (their working place i.e. panchayat bhawan, Govt. school, multi purpose hall will be ear marked)

State medical institutes

6	Chief medical supdt / supdt/M.O incharge of State medical institutions/ State medical colleges and their associated hospitals/ district hospitals/district women hospitals/ district combined hospitals/ community health centres/primary health centres	Registrar	For all the Birth/Death occurring in State medical institutions/ State medical colleges and their associated hospitals/ district hospitals/ district women hospitals/ district combined hospitals/community health centres/ primary health centres.
---	--	-----------	---

Duties and Responsibilities of Registrar

As per section 7(2) to 7 (4), every registrar/sub- registrar shall.

1. Without fee or reward, enter in the register maintained for the purpose all information given to him under section 8 or section 9 and shall also take steps to inform himself carefully of every birth and of every death which takes place in his jurisdiction and to ascertain and register the particulars required to be registered.
2. Have an office in the local area for which she/he is appointed, and
3. Attend her/his office for the purpose of registering births and deaths on such days and at such hours as the chief registrar may direct and shall cause to be placed in some conspicuous place on or near the outer door of the office of the registrar a board bearing, in the local language, his name with the addition of registrar of births and deaths for the local area for which she/he is appointed, and the days and hours of her/his attendance as under.

OFFICE OF THE REGISTRAR BIRTH AND DEATH

Registration unit name (name of the gram panchayat, nagarnigam, nagarpalikaparishad, nagar panchayat and others) and code.....
registration unit (Gram panchayat/urban) for all the revenue villages/code name of ward/code.....
name of registrar
mobile number of registrar.....
working days.....time

4. Suo motu registration of event [section 7 (2)].this would mean that registrar should take cognizance of birth and/or death events that have occurred in the area under her/his jurisdiction but not been reported for registration.
5. Registration of name of child, if birth is registered without the name [section 14]
6. Correction and cancellation of entry in the birth and death register [section 15]
7. Maintaining custody of records (register of birth,still births and deaths) and ensure accuracy and correctness of particulars recorded therein [section 16,19]
8. Search of any entry in the birth and death register [section 17(1)(a) and 17 (1)(b)]
 - a. Issuance of extract of prescribed particulars from the register of births and deaths.
 - b. Non-availability certificate .
9. Submit monthly reports to prescribed authority [section 19 (1)],and
10. Obtain a certificate as to the cause of death where the scheme of MCCD is implemented.
11. As soon as the registration is completed registrar shall give inform 5 (for birth) and form 6 (for death) an extract of the prescribed particulars from the register birth and deaths, free of charge, to the person who has given the information for registration, first copy (whether computerised)free of the charge [section 12].
12. It will not be out of place to mention that registrar/sub registrars while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of the RBD act or any rule or order made there under shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21of the Indian penalcode (45of1860) [section 26]

The person concerned may collect the extracts of birth or death from the registrar (for domiciliary event) and the officer or person-in-charge of the institution (for institutional events)within thirty days of its reporting [rule 8(2) to 8(4) section 12]in case the extracts of birth and death is not collected as required under such rule of section 12, the registrar or the officer or person in charge of the concerned institution shall transmit the same to the concerned family by post within 15 days of expiry of the said period.

All the district magistrates/ district register (birth and death) are empowered to appoint registrar for their district and information to this effect shall be furnished to the chief register (birth and death)/ DG Medical and health UP and ARG(CRS) directorate of census operation UP.

All Registrars while acting or purporting to act in pursuance of the provisions of this act or any rule or order made thereunder be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian penal code (45 of 1860)(Section 26).

By order,

Arun kumar Sinha,
Additional Chief Secretary

No- 1925 (1)/5-7-2016, Said Dated

Copy to the Following for information and necessary action

1. Accountant general UP Allahabad.
2. Legislative department (waiting section) Secertriare U.P.
3. Agriculture producion commissioner U.P.
4. Secertorydeptt. of Urban development U.P.
5. Secertorydeptt. Of basic education U.P.
6. Commissioner deptt. Of Rural development U.P.
7. Chief Registrar (Birth and death)/ D.G. medical and health U.P.
8. D.G. Medical education and training with the remark that please forward the copy of this notification to all the registrar working under you.
9. DierectorPanchayati raj UP.
- 10.Dierectordeptt. Of basic education U.P.
- 11..Addl. Director (National Programme) U.P
- 12.All divisional Dy. Director Panchayati raj U.P.
13. All Addl. Director (divisional) Medical health and family welfare U.P.
- 14.Asstt. Director/Statistical officer (Birth and Death) Medical and Health U.P.
15. All the District magistrate U.P.
- 16.All chief development officers U.P.
17. All the CMO of UP with the remark that please forward the copy of this notification to all the registrar working under you.
- 18.All DPROs U.P.
19. Registrar General and census commissioner of India 2/Amansingh road, New Delhi.
20. Director census oprations UP
21. Director Printing office Allahabad, for publishing the above notification in the gazette.
22. Guard File.

By order,

(Shiv Gopal Singh)
Under secretary

Format of Appointment letter to Registrar for Registration of Birth and Death to be Issued

(An Additional copy of Appointment letter is to be Submitted to Chief Registrar (Birth - Death) ,Uttar Pradesh and a copy of the same is also to be submitted to Assistant Registrar General of Uttar Pradesh)

Name of District----- District Code -----

To,

Shri/Smt/Km/(Name)-----

Mobile No-----

Designation-----

Office Address-----

Subject-Appointment as Registrar (Birth - Death) under the sections of Registration of Birth and Death, Act 1969

Under the sections of Registration of Birth - Death Act 1969 and notification no----- dated-----
----- (Photocopy Attached) vide Government of Uttar Pradesh, The delegation of power authorize me, to appoint you for Gram Panchayat-----

For all the revenue villages falling under as-

- 1 -----
- 2 -----
- 3 -----
- 4 -----

As Registrar (Birth - Death)

Registration Act 1969 or any rules which comes in, or working in pursuant to any released order then you would be considered as a Public servant of Indian penal code (45 of 1860) under section 21 (Section 26 of Registration Act of Birth - Death)-

Full address of your office For Registration of Birth- Death would be as follows-

Registration of Birth - Death office with complete address-

Place-----

Signature-----

District Registrar (Birth and Death)/ District Magistrate

Dated-----

Seal-----